न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :— शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :—2021 / 180 निर्णय दिनांक :— 31/8/22

1. रूगाराम पुत्र कालू जाति जाट निवासी नड़वा तह. परबतसर
2. शिवराम पुत्र कालू जाति जाट निवासी नड़वा तह. परबतसर
3. हुक्माराम पुत्र कालू जाति जाट निवासी नड़वा तह. परबतसर

...............प्रार्थीगण

बनाम

1. चिरंजीवसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
2. दातारसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
3. ब्रजसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
4. महेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
5. चांदकंवर पत्नी दलपसिंह जाति राव निवासी नड़वा फौत के कायम मुकामान
   5/1 सुगनकंवर पुत्री चांदकंवर पत्नी दलपतसिंह जाति राव निवासी नड़वा
   5/2 अनारकंवर पुत्री चांदकंवर पत्नी दलपसिंह जाति राव निवासी नड़वा
   5/3 मंजुकंवर पुत्री चांदकंवर पत्नी दलपसिंह जाति राव निवासी नड़वा
6. जनकसिंह पुत्र दलपसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
7. परमेश्वरसिंह पुत्र दलपसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
8. मंगेजसिंह पुत्र दलपसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
9. माधोसिंह पुत्र दलपसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
10. महेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
11. राजेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
12. रेखाकंवर पत्नी शिम्भूसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
13. सुशीलाकंवर पत्नी औप्रकाश जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
14. छोटूसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
15. भंवरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
16. मोहनसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
17. महेशसिंह पुत्र हिम्मतसिंह पुत्र जाति राव निवासी नड़वा तह. परबतसर
18. महावीरसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राव फौत के कायम मुकामान
   18/1 सुशीलाकंवर पतनी महावीरसिंह जाति राव निवासी नड़वा
   18/2 खुशबुकंवर पुत्री महावीरसिंह जाति राव निवासी नड़वा
   18/3 भुपेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति राव निवासी नड़वा
   18/4 सुनीताकंवर पुत्री महावीरसिंह जाति राव निवासी नड़वा
19. दुर्गाराम पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी नड़वा तह. परबतसर
20. भींयाराम पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी नड़वा तह. परबतसर

.................अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

प्रार्थना पत्र बाबत :– धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री मूलचन्द सौलकी अधिवक्ता अप्रार्थी 1 से 4 व 14, 15, 17
श्री राघव शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 19, 20
श्री गजराज चौहान अधिवक्ता अप्रार्थी 8

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम नड़वा में अपनी खातेदारी सुदा भूमि के लिए 16 फुट चौड़ा रास्ता दक्षिणी पश्चिमी कौने की तरफ अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 54 के पश्चिमी हिस्से, खसरा नम्बर 55 के पश्चिमी हिस्से, खसरा नम्बर 57 के पश्चिमी हिस्से, खसरा नम्बर 39, 40 के मध्य में से, खसरा नम्बर 35 के पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 38 के पश्चिमी तरफ तथा खसरा नम्बर 37 के मध्य में से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 52 में आने जाने हेतु 16 फुट चौड़ा गै.मु. कटाणी रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 से 4 व 14, 15, 17 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलचन्द सौंलकी तथा अप्रार्थी 8 की ओर से अधिवक्ता गजराज चौहान व अप्रार्थी 19, 20 की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने वकालतनामा पेश किया है। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांकः 1051 दिनांक 20.09.2021 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी 1 से 4 व 14, 15, 17 के अधिवक्ता श्री मूलचन्द सौंलकी एवं अप्रार्थी 19, 20 के अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने पर उभय पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका रिपोर्ट पर ऐतराज दिनांक 13.04.2022 को स्वीकार करते हुऐ पुनः मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार परबतसर को निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 10.05.2022 को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट अपने पत्रांकः 1089 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा प्रस्तुत की गई। दिनांक 15.06.2022 को अप्रार्थी 1 से 4 व 14, 15, 17 के अधिवक्ता श्री मूलचन्द सौंलकी ने पुनः प्राप्त मौका रिपोर्ट पर ऐतराज पेश करते हुऐ निवेदन किया है कि दिनांक 13.04.2022 को मौका रिपोर्ट के ऐजराज निर्णय मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं गई है। जिस पर पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण कर दोनों मौका रिपोर्ट व मौके की स्थिति में भिन्नता होने पर तहसीलदार परबतसर को पुनः स्वंय मौका निरीक्षण कर उभय पक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर पुनः दिनांक 19.07.2022 को मौका निरीक्षण कर अपने पत्रांकः 1651 दिनांक 26.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी 1 से 4 व 14, 15, 17 के अधिवक्ता श्री मूलचन्द सौंलकी एवं अप्रार्थी 19, 20 के अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने प्रार्थना पत्र का मूल जबाब प्रस्तुत किया है उसमें वही तथ्य प्रस्तुत किये है जो मौका रिपोर्ट के ऐजराज प्रार्थना पत्र में किये है जिनके सभी ऐतराज को दिनांक 13.04.2022 को स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी गई, जिसको भी अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार नहीं करने पर पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था। तत्पश्चात तहसीलदार स्वंय को मौका निरीक्षण कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। अन्तिम मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण अप्रार्थी 1 से 4 व 14, 15, 17 द्वारा कोई आपत्ति या उज्र पेश नहीं किया। लेकिन अप्रार्थी 19, 20 के अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट पर एतराज प्रस्तुत कर निवेदन किया जो दिनांक 13.08.2022 को अस्वीकार किया गया है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण ने ग्राम नड़वा के खसरा नम्बर 52 रकबा 1.54 हैक्टयर भूमि जो जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अनुसार प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारो की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसके दक्षिण में खसरा नम्बर 54 जो अप्रार्थी 1 से 4 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 55 रकबा 0.65 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी 5 से 13 की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 1.8939 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी 5 से 13 की खातेदारी में व खसरा नम्बर 40 रकबा 4.14 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, खसरा नम्बर 35 रकबा 2.04 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी 1 की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 37 अप्रार्थी 19, 20 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 03.09.2021 में खसरा नम्बर 37 35 व 40 के मध्य में जहां रास्ता प्रस्तावित किया गया है वहां पर माठ लगी हुई है तथा माठ के पास – पास रास्ता प्रस्तावित किया गया है शेष खसरा नम्बरान में पश्चिमी सींव पर प्रस्तावित किया गया है, जो प्रार्थीगण द्वारा मांग की गई के अनुसार है इस मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बरान वाईज कुल रास्ते में प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0.3185 हैक्टयर है तथा कुल लम्बाई 637 मीटर है तथा प्रस्तावित रास्ता सरकारी सड़क से लुड़ता हुआ है जो न्यूनतम दूरी को ध्यान में रख कर प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि के अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है, तथा प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी

की भूमि के परबतसर से हुलढाणी जाने वाली सड़क से जो प्रस्तावित किया गया है उससे नजदीक अन्य कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। अप्रार्थीगण के मौका रिपोर्ट के बाद ऐजराज प्रार्थना पत्रों का निर्णय दिनांक 13.04.2022 की पालना में दिनांक 10.05.2022 को पुनः मौका निरीक्षण किया गया। मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारो की उपस्थिति में तैयार की है, पूर्व मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 37 के मध्य से प्रस्तावित की गई है जिससे उक्त खसरे के दो भाग हो रहे है तथा खसरा नम्बर 35, 38 के बीच में किसी प्रकार की माठ नहीं है और खसरा न्मबर 40 भी दो भागों में विभाजीत होता है एवं खसरा नम्बर 57, 55, 54 के पश्चिमी सींव के पास– पास मांग की है। जिसके कारण अन्य वैकल्पिक रास्ते का मौका देखा जो परबतसर से किनसरियां ग्रेवल सड़क से जोड़ता जो उक्त खसरा न्मबर 52 में जाने हेतु मौके पर खसरा न्मबर 100, 101, 6, 61, 59, 59/1 में से आते जाते है एंव मौके पर रास्ता चालू है परन्तु वर्षा के समय पानी भर जाता है, तथा उक्त खसरो के बीच ऐनिकट बना हुआ है इस रास्ता की लम्बाई 906 मीटर है, दोनों ओर की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी अप्रार्थी अप्रार्थी 1 से 4 व 14, 15, 17 के अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट पर ऐजराज करने पर न्यायालय स्वंय द्वारा मौका प्रस्तावित एवं दिनांक 10.05.2022 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का निरीक्षण करने के पश्चात पुनः तहसीलदार परबतसर को स्वंय मौके पर जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर तहसीलदार स्वंय द्वारा दिनांक 19.07.2022 को पुनः मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट अपने पत्रांकः 1621 दिनांक 26.07.2022 के द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसमें खसरा नम्बर 37 के पश्चिमी सींव पर तथा आगे आबादी भूमि खसरा नम्बर 33 को छोड़ते हुए खसरा नम्बर 35 की पश्चिमी सीमा तथा खसरा नम्बर 40 की पश्चिमी व उत्तरी सीमा होते हुए खसरा नम्बर 57, 55, 54 की पश्चिमी सीमा होते हुऐ रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो सभी खसरो की सीमा पर होते हुऐ प्रस्ताव किया गया है तथा मोका रिपोर्ट में अंकित किया है कि रास्ता मार्क "ए से एन" तक सरकारी सड़क को जोड़ता हुआ है तथा रास्ते की न्यूनतम दूरी को ध्यान में रखते हुए रास्ता प्रस्तावित किया गया है प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई उपर्युक्त रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी में जाने हेतु उपलब्ध नहीं है, प्रस्तावित रास्ता परबतसर से हुलढाणी जाने वाली सड़क से जोड़ा गया है जो सबसे उपर्युक्त रास्ता है।

उक्त सभी प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। तथा उनके द्वारा प्रस्तुत सभी ऐजराज को सुन कर प्रकरण में तीन बार मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। अप्रार्थी 19, 20 के अतिरिक्त अन्य किसी भी अप्रार्थी ने अन्तिम मौका रिपोर्ट पर ऐतराज पेश नहीं कया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2022 में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई

उपर्युक्त रास्ता नहीं है, अप्रार्थी 19, 20 ने मौका रिपोर्ट पर केवल यह एजराज किया है कि तहसीलदार परबतसर ने केवल 5 मिनट में मौका निरीक्षण कर लिया एवं मौके पर फर्द तैयार नहीं की है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उज्र नहीं किया है। तीनों मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 52 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं लगता है तथा एक वैकल्पि रास्ता जो मौका रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 में वर्णित अनुसार बताया गया है लेकिन उक्त रास्ते के मध्य एक ऐनिकट बना हुआ है तथा जल भराव क्षेत्र की भूमि है जिसमें वर्षा के दिनों पानी भर रहता है जिसमें से वाहन व पैदल व्यक्ति द्वारा भी आवागमन किया जाना संभव नहीं है। जिससे उक्त वैकल्पि रास्ता उपर्युक्त नही है तथा इस मौका रिपोर्ट में वर्णित किये गये वैकल्पि रास्ते की दूरी भी 906 मीटर है जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2022 में जो रास्ता प्रस्ताव किया गया है उसमें कोई भी खसरे का टूकड़ा नहीं हो, रहा है तथा लम्बाई भी 549 वर्गमीटर है। जिसमें सबसे कम कृषि भूमि रास्ते में जा रही है। राजस्थान कश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में प्रतिपादित नियमों के अनुसार भी जहां सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता लगता हो तथा कम से कम कृषि भूमि रास्ते में जाये वहां से रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 52 में आने जाने व उपयोग उपभोग करने हेतु कोई रास्ता नहीं लगता ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नड़वा के खसरा नम्बर 52 में आने जाने हेतु तहसीलदार परबतसर की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2022 में प्रस्तावित अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी में से कम कर मार्क " ए से एन" कुल 0.2765 हैक्टयर वर्गमीटर कम कर राजकीय गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है, उक्त मौका रिपोर्ट इस निर्णय का पार्ट रहेगी। तदनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर रास्ते में गई भूमि के बदले वर्तमान डी.एल. सी. दर से गणना करते हुए राशि प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थीगण को उनकी खातेदारी में दर्ज हक हिस्से के अनुपात में भुगतान किया जावे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 31/8/22......को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)